

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 13 नवंबर 2025, समय 1305 (05 मिनट))

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्यों को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अगले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में वायु प्रदूषण पर 1985 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा के फतेहाबाद के उपायुक्त को पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू न करने पर नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार, पूर्व के निर्देशों और कई समीक्षा बैठकों के बावजूद 15 सितंबर से 6 नवम्बर के बीच फतेहाबाद में पराली जलाने के उनसठ मामले सामने आए हैं। नवंबर की शुरुआत में इन मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी को देखते हुए आयोग ने उपायुक्त से 17 नवम्बर तक स्पष्टीकरण माँगा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

भारत माता की वंदना के प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पानीपत के लघुसचिवालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

पानीपत के उपायुक्त डॉ दहिया ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में लगे चित्रों, पांडुलिपियों, और ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने से विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथाओं के बारे में ज्ञान में वृद्धि होगी।

उपायुक्त ने बताया कि यह प्रदर्शनी कल भी आम जनता के लिए खुली रहेगी। नागरिक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सचिवालय आकर प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं।

जींद में स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने शिशुओं को निमोनिया से बचाव के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान अगले वर्ष 28 फरवरी तक चलेगा।

सिविल सर्जन डाक्टर सुमन कोहली ने बताया कि इसका उद्देश्य पांच वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया की जांच, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर सर्दी, खांसी से पीड़ित बच्चों की जांच करेंगे और उनके माता-पिता को परामर्श देंगे ताकि बच्चों में निमोनिया से किसी बच्चे की मृत्यु न हो।

कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर पुनिया ने बताया-

हरियाणा में पहली जनवरी से 10 नवंबर तक लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लिंगानुपात पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 के मुकाबले बढ़ कर 912 हो गया है।

उन्होंने बताया कि आज हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हेतु गठित राज्य कार्य बल की स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशक डॉ.वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक बैठक में यह जानकारी साझा की गई। बैठक में बताया गया कि फतेहाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, पानीपत और रेवाड़ी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जबकि सिरसा, सोनीपत और चरखी दादरी में गिरावट देखी गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि चरखी दादरी के गोपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को खराब लिंगानुपात के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा, नारायणगढ़, मुलाना और चौरमस्तपुर के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और पलवल, चरखी दादरी, सिरसा और सोनीपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर बल दिया गया।

डॉ. वीरेंद्र यादव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अधिकारियों को दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने सहित दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने अधिकारियों को एक वर्ष से कम उम्र की सभी गैरपंजीकृत बच्चियों का पंजीकरण करने खासकर लिंगानुपात में गिरावट वाले जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीआरएस पोर्टल के आंकड़ों को वास्तविक प्रसव रिकॉर्ड के साथ जोड़ने की हिदायत की।
